

न्यायालय :- संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद,
जिला-बालोद (छ0ग0)

:- कार्य विभाजन में संशोधन आदेश :-
दिनांक-18.08.2025

क्रमांक/क्यू/मु0न्या0मजि0/2025

बालोद, दिनांक-18.08.2025

मैं संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0) के द्वारा कार्य विभाजन आदेश दिनांक-01.05.2025 में यह संशोधन करता हूँ कि धारा-34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम के मामले उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होंगे, जिनके न्यायालय में संबंधित थाना का क्षेत्राधिकार होता है।

पूर्व में जारी कार्य-विभाजन आदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही और दल्ली-राजहरा के क्षेत्राधिकार में यदि यह दर्ज हो गया है कि धारा-34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम के मामले केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद के न्यायालय में पेश होंगे तो यह आदेश विरोधाभासी होने से विलोपित किया जाता है, क्योंकि पूर्व में संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेटों को धारा-34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम के मामले का पूरा क्षेत्राधिकार उन्हें प्रदान किया गया था, जिसका अनुमोदन माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश, बालोद से हो चुका है।

यह आदेश से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सही -

स्थान:- बालोद
दिनांक:-18.08.2025

(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद
जिला-बालोद (छ0ग0)

प्रतिलिपि-

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही/डोंडी-लोहारा/दल्ली-राजहरा को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही -

(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद
जिला-बालोद (छ0ग0)

न्यायालय :- संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद,
जिला-बालोद (छ0ग0)

-: कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक/क्यू-05/मु0न्या0मजि0/2024

बालोद, दिनांक-01.05.2025

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ0ग0) के नियंत्रण एवं अधीन में रहते हुये पूर्व में आपराधिक कार्य विभाजन आदेश के संबंध में जारी सभी आदेशों को परिवेष्टित/संशोधित/नवीनीकृत करते हुये, मैं **संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद जिला-बालोद (छ0ग0)** धारा-12(1) एवं धारा-13(2) भा0ना0सु0सं0 के तहत राजस्व जिला बालोद (छ0ग0) में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी के मध्य नवीन कार्य विभाजन निम्नानुसार तैयार करता हूँ, जो **दिनांक-01.05.2025** से प्रभावशील होगा।

क्रं.	स्तंभ क्र.-2	स्तंभ क्र.-3	स्तंभ क्र.-4
01	02	03	04
01.	संजय कुमार सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र का नाम - 01. कोतवाली बालोद 02. यातायात सहायता केन्द्र, बालोद (थाना नहीं है) 03. गुरुर (पुलिस चौकी कंवर मिलाकर) 04. पुरुर 05. सनौद (कुल थाना-04) जी0आर0पी0-बालोद	1- स्तंभ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 2- नगर पालिका बालोद से नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश सभी दांडिक मामलों का निराकरण करना। 3- यातायात पुलिस बालोद द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 4.- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 5021/ तीन-7-7/2005 बिलासपुर दिनांक 19.10.2005 के अनुसार सिविल जिला बालोद से उत्पन्न- 1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944, 2. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, 3. कम्पनी अधिनियम 1956, 4. धनकर अधिनियम 1957, 5. दानकर अधिनियम 1958, 6. आयकर अधिनियम 1961, 7. सीमा शुल्क अधिनियम 1962, 8. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण)



अधिनियम 1963,
9. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964,
10. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969,
11. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

5- जिला बालोद के वन परिक्षेत्र बालोद जिसके अंतर्गत डौंडी लोहारा, डौंडी एवं गुरुर तीनों परिक्षेत्र शामिल हैं उनके क्षेत्राधिकार सीमा में उत्पन्न वन अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना।

6- जिला बालोद मुख्यालय से आबकारी विभाग बालोद वृत्त द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण करना एवं विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र का निराकरण करना।

7- आबकारी वृत्त दल्ली राजहरा, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा अर्थात् पूरा बालोद जिला से उद्भूत धारा-34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना।

8- सिविल जिला-बालोद (छ0ग0) के समस्त थानों से उत्पन्न प्रतिलिप्याकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना।

9- जिला बालोद के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। नगर पालिका अधिनियम एवं शेष अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।

10- जिला-बालोद से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं शेष स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।

11- जिला-बालोद के समस्त थानों से उत्पन्न खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना, किन्तु आरक्षी केन्द्र, कोतवाली बालोद, यातायात सहायता केन्द्र, बालोद, थाना-गुरुर, गुरुर एवं सनौद से उत्पन्न खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना।

12- आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल

			अधिनियम के तहत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 13-आरक्षी केन्द्र, कोतवाली बालोद, यातायात बालोद, गुरुर एवं पुरुर से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के अधीन मामलों का निराकरण करना। 14- थाना-बालोद, गुरुर, सनौद, पुरुर से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना। 15-जिला स्थापना में पूर्व में कार्यरत तथा रिक्त न्यायालयों से उत्पन्न/निराकृत द्राष्टिक मामलों/आवेदनों का निराकरण करना। 16-माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
02.	(श्री सागर चंद्राकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0)	-	1-माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। 2- थाना-कोतवाली बालोद, गुरुर, यातायात एवं बाल न्यायालय से संबंधित उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-183 भा0ना0सु0सं0 (पुराना धारा-164 दं0प्र0सं0) के तहत कथन दर्ज करना।
03.	(श्रीमती हीरा सिन्हा) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0)	-	1- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। 2- थाना-पुरुर एवं सनौद से संबंधित उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-183 भा0ना0सु0सं0 (पुराना धारा-164 (दं0प्र0सं0) के तहत कथन दर्ज करना।
04.	कु0 चेतना ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुण्डरदेही जिला-बालोद (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र का नाम - 01. गुण्डरदेही, (पुलिस चौकी-हल्दी मिलाकर)	1- स्तंभ क्रमांक-03 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का

		02. रनचिरई 03. अर्जुन्दा, (कुल थाना-03)	क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) 2- आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 3- आबकारी वृत्त गुण्डरदेही के द्वारा धारा-34 (2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम को छोड़कर प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना। 4- थाना गुण्डरदेही, रनचिरई, अर्जुन्दा से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना। 5- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। 6- आरक्षी केन्द्र, गुण्डरदेही, रनचिरई, अर्जुन्दा से उत्पन्न <u>खात्ना</u> के प्रकरणों का निराकरण करना। 7- आरक्षी केन्द्र, गुण्डरदेही, रनचिरई, अर्जुन्दा से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के अधीन मामलों का निराकरण करना।
05.	कु0 सतप्रीत कौर छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र का नाम- 01. डौण्डी लोहारा, (पुलिस चौकी संजारी मिलाकर) 02. देवरी, (पुलिस चौकी-पिनकापार मिलाकर) 03. मंगचुवा 04. सुरेगांव (कुल थाना-04)	1-स्तंभ क्रमांक-03 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) 2- आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 3- वन परिक्षेत्र डौण्डी लोहारा के द्वारा भारतीय वन अधिनियम एवं भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना। 4- थाना डौण्डीलोहारा, देवरी, मंगचुवा, सुरेगांव से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू

			हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना। 5- थाना दल्लीराजहरा, डौण्डी, महामाया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करना। 6- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। 7- आरक्षी केन्द्र, डौंडी लोहारा, देवरी, मंगचुवा एवं सुरेगांव से उत्पन्न <u>खात्मा</u> के प्रकरणों का निराकरण करना। 8- आरक्षी केन्द्र, डौंडी-लोहारा, देवरी, मंगचुवा एवं सुरेगांव से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के अधीन मामलों का निराकरण करना।
06.	श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र का नाम - 01. दल्ली राजहरा, 02. डौण्डी, 03. महामाया (कुल थाना-03)	1-स्तंभ क्रमांक-03 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) 2- आवंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 3- वन परिक्षेत्र डौण्डी के द्वारा भारतीय वन अधिनियम एवं भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना। 4- आबकारी वृत्त दल्ली राजहरा के द्वारा (धारा-34 (2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम को छोड़कर) प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र का निराकरण करना। 5- थाना दल्लीराजहरा, डौण्डी, महामाया से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत पेश परिवाद/आवेदनों का निराकरण करना।

			6- थाना-डौण्डी लोहारा, मंगचुवा, देवरी, सुरेगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले मामलों में धारा-164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन दर्ज करना। 7- माननीय सत्र न्यायाधीश बालोद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। 8- आरक्षी केन्द्र, दल्ली राजहरा, डौंडी एवं महामाया से उत्पन्न <u>खात्मा</u> के प्रकरणों का निराकरण करना। 9- आरक्षी केन्द्र, दल्ली राजहरा, डौंडी एवं महामाया से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के अधीन मामलों का निराकरण करना।
--	--	--	--

-// आवश्यक टीप // -

01- शंका या विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में या जिसका कोई क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद (छोगो) अथवा उनकी अनुपस्थिति की दशा में जिले में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।

02- जिला बालोद के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट विधि अनुसार सक्षम होने पर उनकी सुविधा के अनुसार नियमित अंतराल से माह में कम से कम एक बार क्षेत्राधिकार रखने वाले अपने क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद से अनुमति लेकर या सूचित कर चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

03- किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट "ए" के अनुसार संपादित किया जाएगा। स्वीकृति योग्य संक्षिप्त विचारण के मामले में उनके द्वारा पंजीबद्ध एवं निराकृत किए जायेंगे तथा किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय रिक्त होने की स्थिति में परिशिष्ट "ए" के अनुसार अत्यावश्यक कार्य संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने वाले प्रकरणों का संज्ञान लिया जाकर विधिवत् निराकरण करेंगे।

04- ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो, वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

05- अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे तथा अवकाश स्वीकृति पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।

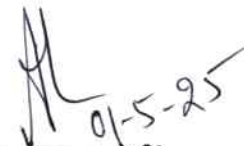
06- परिशिष्ट-बी के स्तंभ क्रमांक-01 में उल्लेखित थानों के मामले में धारा-183 भा0ना0सु0सं0 (पुराना धारा-164, दं0प्र0सं0) की कार्यवाही स्तंभ क्रमांक-02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में स्तंभ क्रमांक-03 के न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे। इसके पश्चात् क्रमशः स्तंभ क्रमांक-04, 05 एवं 06 के न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे।

07- सायबर काईम के संबंध में जिस थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया हो तो जप्तशुदा माल/होल्ड किए गए माल/सामान इत्यादि को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत आवश्यक कार्यवाही/सुपुर्दनामा इत्यादि हेतु प्रस्तुत करेंगे।

08- एन0डी0पी0एस0एक्ट/स्वापक औषधि मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जप्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अध्याय-III - नमूना, शीर्षक - नियम-8 के तहत प्रक्रिया के पालन हेतु इस अधिनियम की धारा 52-2(क) की उपधारा-2 के अधीन फार्म-5 में मालों के सूची तैयार कर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जप्तशुदा सामान को नमूना जांच हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा जप्तशुदा सामान का सैंपल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच हेतु सीलबंद किया जाएगा तत्पश्चात् सीलबंद पैकेट को जांच हेतु एफ0एस0एल0 भेजा जा सकेगा।

उक्त कार्य विभाजन आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हो।

स्थान:- बालोद
दिनांक:-01.05.2025


(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद
जिला-बालोद (छ0ग0)

11 MAY 2025

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद (छ0ग0)

-: कार्य विभाजन आदेश :-

-: परिशिष्ट 'बी' :-

स्तंभ क्रमांक-01 में वर्णित थानों का धारा-183 भा0ना0सु0सं0 (पुराना धारा-164 दं0प्र0सं0) के तहत कथन दर्ज करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम।

क्र0	स्तंभ क्रमांक-01	स्तंभ क्रमांक-02	स्तंभ क्रमांक-03	स्तंभ क्रमांक-04	स्तंभ क्रमांक-05	स्तंभ क्रमांक-06
01.	थाना-कोतवाली, बालोद, गुरुर	श्री सागर चंद्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	श्रीमती हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	कु0 सतप्रीत कौर छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा
02.	थाना-पूरुर, सनौद	श्रीमती हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	श्री सागर चंद्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	कु0 सतप्रीत कौर छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा
03.	थाना-गुण्डरदेही, रनचिरई, अर्जुन्दा	कु0 सतप्रीत कौर छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा	श्री संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	श्री सागर चंद्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	श्रीमती हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद
04.	थाना-डौण्डी लोहारा, मंगचुवा, सुरेगांव, देवरी	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दल्ली राजहरा	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	श्री संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	श्री सागर चंद्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	श्रीमती हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद
05.	थाना-दल्ली राजहरा, महामाया, डौण्डी	कु0 चेतना ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	कु0 सतप्रीत कौर छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डौण्डी लोहारा	श्री संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद	श्री सागर चंद्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद	श्रीमती हीरा सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद

स्थान:- बालोद
दिनांक:-01.05.2025

(संजय कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद
जिला-बालोद (छ0ग0)

01-5-25
MAY 2025